न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़

पीठासीन अधिकारी - **श्री सुन्दरलाल बंशीवाल,**
आर.जे.एस

C.I.S. No. 2211/2014

प्रकरण संख्या - **506/ 2005** रेगूलर फौजदारी

राजस्थान सरकार

// बनाम //

1. श्रवण कुमार पुत्र रामचन्द्र, जाति तेली, निवासी केली, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0) (मफरूर घोषित दिनांक 22.04.2010)

2. विनोद पुत्र मांगीलाल आमेटा, जाति ब्राह्मण, निवासी फलवां, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

----- अभियुक्तगण।

(अन्तर्गत धारा 420, 120 बी भा0दं0सं0)

उपस्थित :-
1- सरकार की ओर से - सहायक लोक अभियोजक।
2- श्री सी.पी.सिंह, अभिभाषक अभियुक्त विनोद।

(नि र्ण य) **दिनांक : 13.10.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से हैं कि दिनांक 08.08.2009 को परिवादी ओंकारलाल पुत्र नाथुलाल, निवासी अरनोद, वर्तमान दुकान मालिक, मेनारिया ट्रेक्टर्स प्रतापगढ ने परिवाद प्रदर्श पी 02 पेश कर निवेदन किया कि परिवादी मेनारिया ट्रेक्टर्स के नाम से व्यवसाय करता है। दिनांक 07.06.2004 को श्रवण कुमार परिवादी के पास आया और उससे एक ट्रेक्टर एन0एन0टी0 जान डीयर माडल 5103, चालीस एचपी चैसिस नम्बर 5103डी004574 इंजन नम्बर 3029 डी 111059 रूपये 3,68,000/- में क्रय किया व पेमेन्ट में विनोद पुत्र मांगीलाल आमेटा निवासी फलवा के खाते का चैक नम्बर 811751 बैंक आफ बड़ौदा शाखा निम्बाहेड़ा का व विनोद का पत्र दिया। ट्रेक्टर लेते समय श्रवण कुमार ने बताया कि 10-15 दिन में ट्रेक्टर की राशि का भुगतान कर उपरोक्त चैक वापस ले लेंगे। परिवादी कई बार मुलजिमान के पास रूपये लेने गया लेकिन रूपये अदा नहीं किये। दिनांक 10.07.2004 को विनोद कुमार व श्रवण कुमार परिवादी से मिले और दोनों ने परिवादी के पक्ष में चिट्ठी लिख दी कि रूपये 01.08.2004 तक डी0डी0 द्वारा

भेज देंगे किन्तु उक्त दिनांक तक भी रूपये अदा नहीं किये गये। इसके पश्चात् श्रवण कुमार ने उसकी पत्नी चंदा के खाते का एक चैक 3,68,000/–रू का भारतीय स्टेट बैंक शाखा निम्बाहेडा का दिनांक 23.11.2004 का दे दिया। उक्त चैक परिवादी ने भुगतान हेतु दिया किन्तु परिवादी को उक्त चैक का भुगतान नहीं मिला जिसपर परिवादी ने चंदा देवी के विरूद्ध धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत परिवाद पेश किया। मुलजिमान ने परिवादी को धोखा देकर व गलत चैक देकर ट्रेक्टर की डिलीवरी ले ली व रूपये अदा नहीं किये। इस प्रकार मुलजिमान ने परिवादी के साथ भारी धोखाधड़ी की व ट्रेक्टर को अपने कब्जे में लेकर उसका उपयोग कर रहें हैं.....आदि।

उक्त परिवाद पर पुलिस थाना प्रतापगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–516/2005 अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान मुकामी पुलिस द्वारा अभियुक्तगण श्रवण कुमार व विनोद के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120बी भा0दं0सं0 में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिसपर न्यायालय द्वारा उक्त अपराध धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को धारा 420, 120बी भा0दं0सं0 के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन समझकर अपराध से इंकार किया व अंवीक्षा चाही। दौराने विचारण दिनांक 22.04.2010 को अभियुक्त श्रवण कुमार को मफरूर घोषित किया गया। यह निर्णय अभियुक्त विनोद की हद तक पारित किया जा रहा है।

दौराने अंवीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह 01 दरबारसिंह, पी.ड. 02 ओंकारलाल, पी.ड. 03 दिलीप, पी.ड. 04 आनंदीलाल, पी.ड. 05 शेख मोहम्मद, पी.ड. 06 कमलेश कुमार व पी.ड. 07 मानसिंह के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी. 06 को प्रदर्शित करवाया गया।

प्रकरण में साक्ष्य अभियेाजन की समाप्ति पर अभियुक्त विनोद का परीक्षण धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया व साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

बहस पक्षगण सुनी गई। अभियोजन की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि–

1– क्या प्रकरण में अभियुक्त विनोद ने दिनांक 07.06.2004 को दिन के किसी अज्ञात समय पर मौजा प्रतापगढ़ स्थित अभियोगी पक्ष की फर्म मैसर्स मेनारिया ट्रेक्टर्स से एक प्रश्नगत ट्रेक्टर एलएनडी जान डीयर माडल 5103–40, रूपये

3,68,000/–में क्रय कर अभियोगी से प्रवंचना कर इसके पेटे बैंक आफ बड़ौदा से सम्बद्ध एक चैक संख्या 181571 देकर यह विश्वास दिलाया कि वह वांछित धनराशि का नगद भुगतान 10–15 दिवस के अन्दर कर देगा, जबकि अभियुक्त का भुगतान करने का ऐसा कोई इरादा नहीं होते हुए अभियोगी को बेईमानी से ट्रेक्टर दिये जाने के लिए उत्प्रेरित कर छल कारित किया?

2– क्या प्रकरण में अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर दीगर अभियुक्त श्रवण के साथ अभियोगी ओंकारलाल के साथ छल कारित करने के आशय से आपराधिक षड़यंत्र कारित किया?

उक्त दोनों बिन्दुओं पर अभियोजन पक्ष की ओर से आई साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष निम्न है–

हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में कुल 07 साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.ड. 03 ओंकारलाल, जो कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी रहा है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किये हैं कि दिनांक 07.06.2004 को वह मेनारिया ट्रेक्टर्स के नाम से प्रतापगढ में व्यवसाय करता था। उस दिन उसके पास श्रवण पिता रामचन्द्र निवासी केली आया। श्रवण ने उसे एक चिट्ठी व बैंक चैक विनोद पिता मांगीलाल आमेटा निवासी फलवा का दिया। जिसपर उसने श्रवण कुमार को ट्रेक्टर की डिलीवरी दी। डिलीवरी चालान क्रमांक 56 दिनांक 07.06.2004 थी। डिलीवरी के वक्त श्रवण ने 10–15 दिन के अन्दर भुगतान कर चैक वापस ले जाने की बात कही थी। उसके पश्चात् 10–15 दिन में भुगतान नहीं हुआ। भुगतान नहीं होने पर विनोद व श्रवण दोनों दिनांक 10.07.2004 को शोरूम पर आए व विनोद ने श्रवण के नाम का 3,68,000/– का इकरारनामा सम्पादित किया। दिनांक 01.08.2004 को डीडी देने की बात कही लेकन डीडी नहीं दिया। वह पैसे तकाजे के लिए निम्बाहेड़ा गया तो श्रवण ने उसकी पत्नी के खाते का एक चैक 23.11.2004 दिया जो भुगतान के लिए एसबीबीजे शाखा अरनोद को दिया जिसपर दिनांक 30.11.2004 को बैंक से सूचना मिली कि चैक अनादरित होकर आया है। इस प्रकार विनोद व श्रवण ने धोखाधड़ी कर ट्रेक्टर लिया है। डिलीवरी चालान पर अभियुक्त विनोद के हस्ताक्षर है। अभियुक्त विनोद ने उसके नाम से प्रदर्श पी 05 चिट्ठी लेकर श्रवण को भेजा था। खाली चैक प्रदर्श पी 06 है। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने अभिकथन किये कि विनोद व

श्रवण को इस घटना के छः माह पहले से जानता था। जिन्होंने प्रभुलाल, भरतलाल, शंभुलाल को ट्रेक्टर दिलाये थे। पहले कोई लेन–देन चिट्‌ठी के आधार पर नहीं हुआ था। वह इस घटना से पहले विनोद से फोन पर बात करता था। श्रवण ने कहा कि 01.08.2004 को 3,68,000/– का चैक देंगे। श्रवण ने उसकी पत्नी के नाम का 3,68,000/–का चैक दिया था। इकरारनामा के अनुसार जवाबदारी श्रवण व विनोद दोनों की बनती है। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने आगे अभिकथन किये हैं कि इस्तगासा प्रदर्श पी 02 के साथ मेनारिया ट्रेक्टर्स के नाम से एजेन्सी होने बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 07.06.2004 को विनोद उसके पास नहीं आया था। यह सही है कि प्रदर्श पी 03 में चैक नम्बर का हवाला है, राशि का हवाला नहीं है। यह सही है कि दिनांक 07.06.2004 को कोई इकरारनामा नहीं किया था परन्तु चालान के आधार पर ट्रेक्टर दिया था। प्रदर्श पी 04 विनोद का कलमी है। प्रदर्श पी 05 पत्र पर मेनारिया लिखा है, इस पर कोई नाम नहीं लिखा है। यह सही है कि उसने कोई लेन–देन चन्दा से नहीं किया। विनोद उसके शोरूम पर काम करता था। विनोद को एक ट्रेक्टर पर 10,000/– कमीशन देता था। दिनांक 10.07.2004 को एग्रीमेंट श्रवण के नाम बना तब श्रवण खरीददार बना। विनोद ने जो चैक दिया था वो खाली चैक मेनारिया ट्रेक्टर्स के नाम से था। विनोद व श्रवण ने एग्रीमेंट 3,68,000/– का किया था। विनोद व श्रवण ने कहा कि वे बैंक फाइनेंस करवा रहे हैं। बैंक फाइनेंस की बात उसने अपने इस्तगासे में नहीं लिखाई। यह मुकदमा उसने पैसे के लेन–देन बाबत् किया हो।

प्रकरण में गवाह पी.ड. 04 आनंदीलाल ने अपने अभिसाक्ष्य में सशपथ कथन किये हैं कि सन् 2005 में मेनारिया ट्रेक्टर पर काम करता था जो ओंकारलाल का है। आठ साल पहले श्रवण कुमार शोरूम पर विनोद आमेटा के नाम का पत्र लेकर आया था जिसपर कार्यवाही करके ट्रेक्टर रवाना किया। ट्रेक्टर जान डीयर 5103 होकर 40 एचपी का 3,68,000/–रू का था, जिसका पेमेन्ट नहीं हुआ था। सेठजी ओंकारलाल ने विनोद से टेलीफोन पर पेमेन्ट संबंधी बात करने के बाद ट्रेक्टर दे दिया था। श्रवण ने मेनारिया फर्द के नाम से खाली चैक दिया था, जो विनोद की तरफ से दिया था। चैक बी.ओ.बी. शाखा निम्बाहेडा का था। चैक में कोई राशि भरी हुई नहीं थी। उस चैक पर विनोद आमेटा के हस्ताक्षर थे। चैक दिया व कहा था कि 15 दिन बाद पेमेन्ट दे देंगे फिर 15 दिन और उसके बाद भी पेमेन्ट नहीं दिया। जो चैक दिया था उसके पेटे कोई राशि का भुगतान नहीं हुआ। डिलीवरी चालान बनाया था जिसपर उसके हस्ताक्षर कराये थे। दुबारा शोरूम पर आए थे या नहीं उसे पता नहीं। दुबारा पेमेन्ट करने की बात का उसे पता नहीं। पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का ए लगायत ई तीनों भाग सही है। उसकी जानकारी में यह भी आया था कि ओंकारलालजी को एक और चैक 3,68,000/–का विनोद ने उसकी पत्नी के नाम का दिया था परन्तु उस चैक की राशि का भी भुगतान नहीं हुआ था। ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 है जिसपर जी से एच

उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 03 के जरिये श्रवण कुमार को ट्रेक्टर सुपुर्द किया था। प्रदर्श पी 06 चैक उसके सामने दिया था। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने अभिकथन किये हैं कि सन् 2004 में औंकारलाल के वहां काम कर रहा था। वह ट्रेक्टर मेकेनिकल का काम करता था। उसे चार हजार रूपये मासिक वेतन मिलता था। उसने चार साल तक वहां पर काम किया था। ट्रेक्टर बेचने के बारे में क्या लिखा–पढ़ी करते थे, उसको पता नहीं। किसी डिलीवरी चालान पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराये थे। प्रदर्श पी 03 की पूरी लिखावट औंकारलाल के हाथ की है। प्रदर्श पी 03 विनोद कुमार आमेटा के नाम से था, खरीदने श्रवण कुमार आया था। बिल में औंकारलाल ने खरीददार श्रवण कुमार को बताया था। करीब तीन बजे उसके साईन कराये थे। मोबाईल पर औंकारलाल ने विनोद से बात की थी वो उसने पुलिस को बता दिया था। वह श्रवण कुमार के ट्रेक्टर की सर्विसिंग करने गया था। इस बीच श्रवण कुमार ने पेमेन्ट दिया या नहीं दिया, इसकी उसको जानकारी नहीं है। वह तो सर्विसिंग करके आ गया था। दुबारा जब विनोद आया तब इनके बीच में क्या बात हुई, उसे पता नहीं। दुबारा क्या लिखा–पढ़ी हुई उसको पता नहीं।

प्रकरण में गवाह पी.ड. 01 दरबारसिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथन किये हैं कि घटना वर्ष 2004 की होकर श्रवण व विनोद आमेटा ट्रेक्टर लाये थे जिसमें श्रवण ने ट्रेक्टर खरीदा व विनोद आमेटा ट्रेक्टर दिलाने में एजेन्ट था। ट्रेक्टर कितने में खरीदा उसे पता नहीं। इसके बारे में कागज की लिखा–पढी हुई हो तो उसे पता नहीं। श्रवण कुमार ने ट्रेक्टर के रूपये नहीं चुकाये थे तो विनोद ने उसका ट्रेक्टर पकड़कर उसके यहां रख गया था। विनोद ने पहले से उससे 90,000/–ले रखे थे। उसके पास एक दिन ट्रेक्टर रहा। औंकार मेनारिया ट्रेक्टर मालिक था जो ट्रेक्टर बेचता था। श्रवण कुमार ने उसके सामने कोई चिट्ठी नहीं लिखी। न ही वह चिट्ठी के बारे में जानता है। इस प्रक्रम पर गवाह को पक्षद्रोही करार देकर प्रति परीक्षण किये जाने पर अभिकथन किये कि यह गलत है कि श्रवण कुमार ने उसके सामने 3,68,000/–दिनांक 01.08.2004 को चुका देने का डीडी उसके सामने दिया हो।

गवाह पी.ड. 03 दिलीप ने अपने अभिसाक्ष्य में सशपथ कथन किये हैं कि आठ साल पहले वह मेनारिया ट्रेक्टर पर ड्राईवरी करता था। दिन में दो–ढाई बजे श्रवण कुमार तेली निवासी केली एक चिट्ठी व चैक लेकर आया था व कहा कि उसे विनोद ने भेजा है। चैक व चिट्ठी ओंकारलाल के हाथ में दी थी। ओंकारलाल ने पढकर मोबाईल से बात की। ट्रेक्टर 3,78,000/–में बेचना तय हुआ। यह उसको पता नहीं कि चैक दिया वह कितनी राशि का था। वे एक–दो बार उगाही के लिए श्रवण के पास निम्बाहेड़ा गये थे। श्रवण ने उसकी औरत का एक चैक उंकारलाल मेनारिया को दिया था परन्तु पेमेन्ट नहीं दिया। इन चैकों से कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ था। अपने प्रति

परीक्षण में इस गवाह ने अभिकथन किये कि वह अरनोद से प्रतापगढ शोरूम पर ओंकारलाल को लाने-ले जाने का काम करता था। वह हमेशा की तरह शोरूम पर बैठा हुआ था। श्रवण कुमार पहले नहीं आता-जाता था। चैक पर मेनारिया ट्रेक्टर लिखा हुआ था। उसके सामने चैक पर कोई लिखावट नहीं हुई थी। ट्रेक्टर श्रवण ने खरीदा और वह ही लाया। विनोद ने ट्रेक्टर ने नहीं खरीदा था। चैक में तारीख 07.04.2004 डाली हुई थी। निम्बाहेडा में पेमेन्ट के बारे में बातचीत हुई थी, उसी दिन श्रवण कुमार ने एक चैक और दिया जो उसकी पत्नी के नाम का था। ओंकारलाल ने यह नहीं कहा कि चैक उसकी पत्नी के नाम का क्यों दे रहा है। उसे पता नहीं कि निम्बाहेडा में जो चैक दिया था उसका भुगतान कितने दिन बाद तक नहीं हुआ। यह सही विनोद व ओंकारलाल के बीच मुकदमें चल रहे हैं।

गवाह पी.ड. 05 शेर मोहम्मद ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथन किये हैं कि उसके बयान से सात साल पहले श्रवण कुमार ने आगे-आगे चलकर पुलिस वालों को एक ट्रेक्टर, जिसे पुलिस ने बरामद कराया, फर्द जब्ती बनाई प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने अभिकथन किये कि यह सही है कि प्रदर्श पी 06 के दोनों गवाहान पुलिसकर्मी है। यह सही है कि निम्बाहेड़ा पुलिस थाने के आसपास बस्ती है।

गवाह पी.ड. 06 कमलेश कुमार ने सशपथ कथन किये हैं कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 पर उसके हस्ताक्षर है। शंकरलाल हेड साहब ने ट्रेक्टर को वजह सबूत लिया था। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने अभिकथन किया कि ट्रेक्टर केली चौकी पर था, वहां से थाना निम्बाहेड़ा लाये थे।

गवाह पी.ड. 07 मानसिंह ने अपने अभिसाक्ष्य में अभिकथन किये हैं कि वह दिनांक 19.09.2005 को द्वितीय अधिकारी थाना प्रतापगढ पर तैनात था। उस दिन इस प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली उसे प्राप्त हुई। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी ओंकारलाल के बयान लेखबद्ध किये। अग्रिम अनुसंधान सोहनलाल के जिम्में किया। अपने प्रति परीक्षण में इस गवाह ने अभिकथन किये कि यह सही है कि परिवाद के पहले थाने में परिवादी ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की थी।

बहस-विद्वान् अभिभाषक अभियुक्त का दौराने बहस कथन रहा है कि प्रकरण में अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे इस मामले में गलत ढंग से फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियुक्त विनोद अभियोगी फर्म पर ट्रेक्टर बिक्री हेतु एजेन्ट नियुक्त था तथा यह तथ्य स्वयं अभियोगी द्वारा भी अपने अभिसाक्ष्य में स्वीकार किया गया है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है। उनका यह भी

कथन है कि प्रकरण में अभियुक्त विनोद द्वारा जो पत्र अभियोगी को प्रेषित किया जाना बताया है वह अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है तथा संबंधित चैक पर भी अभियुक्त के हस्ताक्षर साबित नहीं हो पाए हैं। उनका यह भी कथन है कि अभियोगी के पक्ष में जो सम्बद्ध इकरारनामा लिखा गया है, उसके आधार पर भी अभियुक्त विनोद की किसी भी रूप में अभियोगी के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती है। तब अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त विनोद के विरूद्ध आरोपित अपराध किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं हो पाने से अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान् सहायक लोक अभियोजक के बहस में कथन रहे हैं कि प्रकरण में अभियुक्त विनोद ने दीगर अभियुक्त श्रवण के साथ बदनियति से आपराधिक आशय रखते हुए तथा अभियोगी को धोखा देने की नीयत से षडयंत्र व साजिश रचकर प्रश्नगत ट्रेक्टर खरीदा तथा बाद में अभियोगी को कोई राशि का भुगतान नहीं कर अभियोगी के साथ धोखाधड़ी की है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में विनोद वांछित धनराशि का भुगतान कराए जाने के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार था। उनका यह भी कथन है कि मामले में स्वयं अभियोगी व अन्य साक्षीगण की अभिसाक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में पेश की गई दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध पूरी तरह साबित है। तब अभियुक्त विनोद को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर उचित दण्डादेश दिया जावें।

प्रकरण में जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध का प्रश्न है, इस संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को साबित करने का भार स्वयं अभियोजन पर है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कुल सात साक्षीगण को परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण में पी.ड. 07 एसआई मानसिंह इस प्रकरण का पूर्ववर्ती अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दौराने अनुसंधान केवल अभियोगी ओंकारलाल के पुलिस बयान लेखबद्ध किये जाने का तथ्य प्रकट किया है। प्रकरण में पी.ड. 05 एएसआई शेर मोहम्मद एवं पी.ड. 06 कांस्टेबल कमलेश कुमार को अभियोजन की ओर से फर्द जब्ती वजह सबूत ट्रेक्टर प्रदर्श पी 06 के गवाहान के रूप में परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण में उक्त दोनों साक्षीगण ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 पर स्वयं के हस्ताक्षर होने का अभिकथन किया है। प्रकरण में फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 की अन्तर्वस्तु में उल्लेखित सम्बद्ध ट्रेक्टर को उसके कागजात नहीं होने के कारण पुलिस चौकी के तत्कालीन हेड कांस्टेबल शंकरलाल द्वारा जब्त किये जाने का तथ्य प्रकट होकर उक्त ट्रेक्टर को हस्तगत प्रकरण में सम्बद्ध मालखाना इंचार्ज द्वारा वजह सबूत होने से कब्जे पुलिस लिया गया है। तब प्रकरण में फर्द जब्ती प्रदर्श पी 06 से यह तथ्य किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं हो पाता है कि अभिकथित रूप से अभियोगी ओंकारलाल द्वारा विक्रय किया गया सम्बद्ध ट्रेक्टर प्रकरण के

अभियुक्त विनोद के अनन्य कब्जे से बरामद किया गया हो।

प्रकरण में अभिकथित रूप से जिस चालान डिलीवरी के द्वारा अभियोगी ओंकारलाल द्वारा प्रश्नगत ट्रेक्टर अभियुक्तगण को डिलीवर किया गया वह सम्बद्ध दस्तावेज न्यायालय पत्रावली पर अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्श पी 03 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। प्रकरण में इस दस्तावेज के संबंध में स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल ने अपने अभिसाक्ष्य में सम्बद्ध ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 पर स्वयं के हस्ताक्षर सहित प्रकरण के अभियुक्तगण श्रवण व विनोद के हस्ताक्षर को भी प्रमाणित किया है। इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में सम्बद्ध ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 पर प्रकरण के अभियुक्त विनोद के हस्ताक्षर विनिर्दिष्ट रूप से ई से एफ होने का तथ्य उल्लेखित किया है। प्रकरण में सम्बद्ध ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 दिनांक 07.06.2004 को काटा जाना प्रकट है। प्रकरण में चूंकि ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 दिनांक 07.06.2004 को काटा जाकर इस पर ई से एफ हस्ताक्षर अभियुक्त विनोद के होने का तथ्य पी.ड. 02 अभियोगी ओंकारलाल की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होता है लेकिन प्रकरण में स्वयं अभियोगी ओंकारलाल पी.ड. 02 की अभिसाक्ष्य में प्रश्नगत ट्रेक्टर, प्रकरण के दीगर अभियुक्त श्रवण को डिलेवर किये जाने के तत्समय अभियुक्त विनोद का मौके पर नहीं होने का तथ्य प्रकट होता है। प्रति परीक्षण में भी यह साक्षी इस तथ्य को सुस्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि दिनांक 07.06. 2004 को विनोद उसके पास नहीं आया था। आगे अपने प्रति परीक्षण में यह साक्षी इस तथ्य को भी सुस्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि दिनांक 07.06.2004 को सम्बद्ध ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 कम्पलीट हो गया था उसके बाद उसे कोई घटाया या बढ़ाया नहीं था। तब सम्बद्ध ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 पर दिनांक 07.06.2004 को प्रकरण के अभियुक्त के हस्ताक्षर ई से एफ के रूप में होना, प्रकरण में स्वयं ही सम्बद्ध दस्तावेज ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 को संदेहास्पद बना देता है। प्रकरण में यद्यपि पी.ड. 02 अभियोगी ओंकारलाल ने सम्बद्ध ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 पर सम्बद्ध फर्म मेनारिया ट्रेक्टर्स के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं लेकिन प्रकरण में अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल अपने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को सुस्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि उसने सम्बद्ध परिवाद प्रदर्श पी 02 के साथ मेनारिया ट्रेक्टर्स के नाम से उसकी कोई एजेन्सी हो और उसका वह मालिक हो, इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। तब प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से यह तथ्य भी युक्तियुक्त प्रमाणित नहीं हो पाता है कि सम्बद्ध ट्रेक्टर को विक्रय किये जाने वाली फर्म मेनारिया ट्रेक्टर्स का मालिक अथवा प्रोपराईटर अभियोगी ओंकारलाल ही हो। इसके साथ ही प्रकरण में ट्रेक्टर डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 की अन्तर्वस्तु में प्रश्नगत ट्रेक्टर कितनी विनिर्दिष्ट धनराशि में विक्रय किया गया, यह तथ्य भी किसी भी रूप में उल्लेखित नहीं है और न ही उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी

03 में इस तथ्य का उल्लेख है कि प्रश्नगत ट्रेक्टर के पेटे दिया गया सम्बद्ध चैक प्रकरण के अभियोगी विनोद कुमार द्वारा भेजा गया हो। इन सभी तथ्यों बाबत् प्रकरण में स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल ने अपने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सम्बद्ध दस्तावेज प्रदर्श पी 03 में चैक नम्बर का हवाला है, धनराशि का हवाला नहीं है। ट्रेक्टर कितने में विक्रय किया, उसका हवाला डिलीवरी चालान में नहीं है। आगे अपने प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने सुस्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सम्बद्ध दस्तावेज प्रदर्श पी 03 में विनोद की चिट्ठी होना व श्रवण को ट्रेक्टर खरीदने भेजा जाना आदि अंकित नहीं है। तब इस प्रकार प्रकरण में सम्बद्ध दस्तावेज डिलीवरी चालान प्रदर्श पी 03 अभियोजन कहानी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त किसी भी रूप में जुड़ नहीं पाता है।

प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से अभिकथित रूप से विनोद कुमार द्वारा प्रकरण के दीगर अभियुक्त श्रवण के साथ अभियोगी ओंकारलाल को भेजा गया सम्बद्ध पत्र प्रदर्श पी 05 व चैक प्रदर्श पी 06 के रूप में न्यायालय पत्रावली पर प्रदर्शित करवाये गये है। प्रकरण में यद्यपि अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल ने अपने अभिसाक्ष्य में उक्त दोनों दस्तावेजात प्रदर्श पी 05 व प्रदर्श पी 06 प्रकरण के दीगर अभियुक्त श्रवण के साथ विनोद द्वारा भेजे जाने का तथ्य प्रकट किया है लेकिन प्रकरण में अभियोजन की ओर से उक्त दोनों दस्तावेज चिट्ठी एवं चैक को केवल मात्र प्रदर्श पी 05 व प्रदर्श पी 06 के रूप में न्यायालय पत्रावली पर प्रदर्शित करवाया गया है। प्रकरण में पत्र प्रदर्श पी 05 एवं चैक प्रदर्श पी 06 पर स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य किसी भी साक्षीगण द्वारा अभियुक्त विनोद के हस्ताक्षर होना किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि सम्बद्ध फर्द प्रदर्श पी 05 में जिस व्यक्ति विशेष को पत्र प्रेषित किया गया है, उसे भाई साहब(मेनारियाजी) लिखा होना अंकित है, वे भाई साहब तथा मेनारियाजी कौन विशिष्ट व्यक्ति है, यह तथ्य सम्बद्ध दस्तावेज प्रदर्श पी 05 से किसी भी रूप में प्रकट नहीं हो पाता है। इसी प्रकार प्रकरण में सम्बद्ध चैक प्रदर्श पी 06 के संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड. 03 दिलीप, जिसे अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल ने अपने अभिसाक्ष्य में तत्समय मौके पर होने का तथ्य उल्लेखित किया है, अपने प्रति परीक्षण में विशिष्ट रूप से सम्बद्ध चैक पर दिनांक 07.06.2004 डली हुई होने का तथ्य स्वीकार करता है लेकिन प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाये गये सम्बद्ध चैक प्रदर्श पी 06 पर ऐसी कोई दिनांक किसी भी रूप में अंकित नहीं की गई है। तब प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रदर्शित करवाया गया सम्बद्ध चैक प्रदर्श पी 06 भी स्वयं अपने आप में संदेहास्पद होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से सम्बद्ध इकरारनामा को न्यायालय पत्रावली पर प्रदर्श पी 04 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। प्रकरण में यद्यपि स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल ने अपने अभिसाक्ष्य में सम्बद्ध इकरारनामा प्रदर्श पी 04 पर प्रकरण के दीगर अभियुक्त श्रवण कुमार के ए से बी हस्ताक्षर होना प्रकट किया है। उक्त इकरारनामा प्रदर्श पी 04 में गवाह के रूप में विनोद आमेटा व नट्वरसिंह का भी होना प्रकट होता है लेकिन प्रकरण में स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल ने अपने अभिसाक्ष्य में सम्बद्ध इकरारनामा प्रदर्श पी 04 पर अभियुक्त विनोद आमेटा के हस्ताक्षर किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं किये हैं। इसके साथ ही प्रकरण में सम्बद्ध इकरारनामा प्रदर्श पी 04 की अन्तर्वस्तु में वर्णित तथ्यों का समग्र परिशीलन करने के पश्चात् यह तथ्य किसी भी रूप में प्रकट नहीं हो पाता है कि प्रश्नगत ट्रेक्टर के विक्रय बाबत् भुगतान की जाने वाली धनराशि बाबत् प्रकरण के अभियुक्त विनोद की किसी भी रूप में कोई जवाबदेही हो। तब प्रकरण में सम्बद्ध दस्तावेज प्रदर्श पी 04 इकरारनामा के आधार पर भी अभियुक्त विनोद को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध से नहीं जोड़ा जा सकता है।

प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन की ओर से आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत गवाहान सूची में उल्लेखित एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित पी.ड. 04 आनंदीलाल की भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में किसी भी रूप में कोई ठोस व सुदृढ़ अभिसाक्ष्य नहीं है। प्रकरण में गवाह पी.ड. 04 आनंदीलाल अपने मुख्य परीक्षण में सम्बद्ध मैसर्स मेनारिया ट्रेक्टर्स पर वर्ष 2005 में कार्य करने का तथ्य प्रकट करता है। जबकि अपने प्रति परीक्षण में यह साक्षी वर्ष 2004 में अभियोगी ओंकारलाल के यहां ट्रेक्टर मेकेनिक के रूप में कार्य करने का तथ्य प्रकट करता है। तब ट्रेक्टर मेकेनिक के रूप में मैसर्स मेनारिया ट्रेक्टर्स पर काम करने के वर्ष को लेकर इस साक्षी के कथनों में परस्पर महत्वपूर्ण विसंगति है। इसके साथ ही प्रकरण में यह साक्षी अपने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को सुस्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ट्रेक्टर को बेचने के बारे में क्या लिखा-पढ़ी हुई उसे पता नहीं। आगे अपने प्रति परीक्षण में यह साक्षी प्रकट करता है कि वह श्रवण कुमार तेली के ट्रेक्टर की सर्विसिंग करने गया था इस बीच श्रवण कुमार ने पेमेन्ट दिया या नहीं इसकी उसे जानकारी नहीं है। आगे अपने प्रति परीक्षण में यह साक्षी प्रकट करता है कि दूसरी बार केवल विनोद आया था, कितने समय बाद आया, किस समय आया यह पता नहीं, क्या बात हुई यह भी पता नहीं। आगे अपने प्रति परीक्षण में यह साक्षी इस तथ्य को भी स्वीकार करता है कि दुबारा जब विनोद आया, उनके बीच में क्या बातें हुई उसे पता नहीं। दुबारा क्या लिखा-पढ़ी हुई उसे पता नहीं। इसी प्रकार प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में परीक्षित करवाये गये साक्षी पी.ड. 01 दरबारसिंह की भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में किसी भी रूप में कोई ठोस व सुदृढ़ अभिसाक्ष्य नहीं है। यह

साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में प्रकट करता है कि ट्रेक्टर कितने में खरीदा उसे पता नहीं, उसके बारे में लिखा–पढ़ी हुई हो तो उसे पता नहीं। श्रवण कुमार ने उसके सामने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी, न ही वह चिट्ठी के बारे में जानता है। इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पत्र पक्षद्रोही घोषित किया गया है। सहायक लोक अभियोजक द्वारा किये गये प्रति परीक्षण में भी कथन करता है कि पुलिस बयान प्रदर्श पी 01 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं लिखाया। तब इस प्रकार प्रकरण में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य से अभियुक्त विनोद के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित किये जाने के संबंध में अभियोजन को किसी भी रूप में मदद नहीं मिलती है।

प्रकरण में अभियुक्त विनोद के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित किसी अन्य साक्षीगण की इस रूप में कोई विशिष्ट अभिसाक्ष्य नहीं है कि प्रकरण के दीगर अभियुक्त श्रवण को अभियुक्त विनोद द्वारा ट्रेक्टर क्रय करवाये जाने में कोई छल रखता हो। प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल अपने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि विनोद शोरूम पर कमीशन एजेन्ट था। विनोद को एक ट्रेक्टर पर 10,000/– कमीशन दिया जाता था। अपने प्रति परीक्षण में इस साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि यह मुकदमा उन्होंने ट्रेक्टर के पैसे के लेन–देन बाबत् किया है। प्रकरण में जहां तक अभियुक्त विनोद द्वारा प्रकरण के दीगर अभियुक्त श्रवण के साथ मिलकर ओंकारलाल के साथ छल कारित करने के आशय से कोई आपराधिक षड़यंत्र कारित किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि आपराधिक षड़यंत्र बाबत् कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं हो सकती है लेकिन इसके बावजूद प्रकरण में स्वयं अभियोगी पी.ड. 02 ओंकारलाल एवं अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्षीगण की अभिसाक्ष्य से यह तथ्य किसी भी रूप में दर्शित नहीं होता है कि अभियुक्त विनोद का प्रकरण के दीगर अभियुक्त श्रवण के साथ मिलकर प्रश्नगत ट्रेक्टर को क्रय करवाये जाने बाबत् छल कारित करने के संबंध में आपस में उनके मध्य कोई करार रहा हो। तब इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध करवाई गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से बिन्दु संख्या 01 व 02 युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं हो पाने से अभियुक्त विनोद को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120बी भा0दं0सं0 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत है।

(आ दे श)

अतः अभियुक्त विनोद पुत्र मांगीलाल आमेटा, जाति ब्राह्मण, निवासी फलवां, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0) को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 120बी भा0दं0सं0 के अपराध में सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्त श्रवण मफरूर है, पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि अभियुक्त मफरूर है, पत्रावली सुरक्षित रखी जावें।

प्रकरण में अभियुक्त विनोद न्यायिक अभिरक्षा में है, उसका रिहाई आदेश जिला जेल, प्रतापगढ़ को भेजा जाकर लिखा जावे कि यदि अभियुक्त विनोद की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो इस प्रकरण में अविलम्ब रिहा कर दिया जावे।

(सुन्दरलाल बंशीवाल)

निर्णय आज दिनांक 13.10.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(सुन्दरलाल बंशीवाल)